पत्र संख्या-स्था0-2-वा0क0अ0-ज्येष्ठता-2013/ 1680 / वाणिज्य कर

कार्यालय - कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना -अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 जून, 2013,

::::कार्यालय ज्ञाप ::::

विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्त कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1- पत्र सं0 स्था-2-सामान्य-ज्येष्ठता सूची 2024/वाणिज्य कर दि0 02-08-1989 ।

2- पत्र सं0 स्था-2-सामान्य 78-ज्येष्ठता सूची-1027/वाणिज्य कर दि0 08-07-2008 ।

3- पत्र सं0 स्था-2-सामान्य 78-ज्येष्ठता सूची/ 1622/वाणिज्य कर दि0 10-09-1997 ।

4- पत्र सं0 स्था-2-सामान्य 78-वा0क0अ0-ज्येष्ठता सूची /3721 /वाणिज्य कर दि0 11-01-2011 ।

5- पत्र सं0 स्था-2-सामान्य 78-ज्येष्ठता सूची /869 /वाणिज्य कर दि0 12-06-2012 ।

उक्त क्रम में ज्येष्ठता क्रमॉक 2169 से ज्येष्ठता क्रमॉक 2733 के मध्य कतिपय विसंगतियॉ पाये जाने के कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 28-5-2013 को जारी किये जाने के पूर्व श्री विवेक कुमार वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल कानपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 2-5-2013 द्वारा उठायी गई आपत्ति के अनुसार पूर्व में जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची में वर्ष 2005 बैच के आयोग द्वारा चयनित अन्य पिछड़े वर्ग के वाणिज्य कर अधिकारियों के अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें वर्ष 2005 बैच की महिला वाणिज्य कर अधिकारियों (जिनके अंक अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों से कम थे) को अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों से ऊपर ज्येष्ठता में अवस्थित किया गया था , जबकि नियमानुसार योग्यता क्रम में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के वाणिज्य कर अधिकारियों को महिलाओ से उक्त ज्येष्ठता सूची में ऊपर अवस्थित किया जाना चाहिए ।

श्री विवेक कुमार की उक्त आपत्ति का परीक्षण करने पर उचित पाया गया जिसके आधार पर उक्त जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची में संशोधन करते हुए उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2169 से क्रमांक-2733 तक उक्त आपत्ति एवं अन्य पायी गयी विसंगतियों का निराकरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-9(1)(2) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं0 स्था-2-सामान्य 78 -ज्येष्ठता सूची- / 869 / वाणिज्य कर दि0 12-06-2012 द्वारा जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची में आंशिक संशोधन करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक 2169 से ज्येष्ठता क्रमांक 2733 तक वाणिज्य कर अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक -2169 से ज्येष्ठता क्रमांक- 2733 तक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची इस कार्यालय के पत्रांक स्था-2- वा0क0अ0-ज्येष्ठता -2013 /1028 / वाणिज्य कर दि0 28-05-2013 द्वारा जारी करते हुए उसे विभाग की वेबसाइट www.comtax.up.nic.in पर प्रकाशित की गयी एवं समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-I वाणिज्य कर उ0प्र0 के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति चस्पा कराते हुए वाणिज्य कर अधिकारियों से ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-9(1) (2) के अन्तर्गत दिनांक 04-06-2013 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई थीं । तत्क्रम में निम्नलिखित आपत्तियॉ प्राप्त हुई थी :-

1- श्री रविन्द्र कुमार त्रिवेदी, वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल वाणिज्य कर कानपुर ।

2- श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल, वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल वाणिज्य कर नजीबाबाद ।

3- श्री शिव कुमार तिवारी, महामंत्री, उ0प्र0वाणिज्य कर सांख्यिकीय स्टाफ एसोशियेसन ।

4- श्री राजेश कुमार सिंह महामंत्री उ0प्र0वाणिज्य कर वैयक्तिक सहायक एवं आशु0सेवा संघ ।

उक्त प्रकरण में उ0प्र0 प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-9 (4) के अनुसार प्राप्त आपत्तियों का निम्न प्रकार निस्तारण किया जाता है :-

1- श्री रवीन्द्र कुमार त्रिवेदी, वाणिज्य कर अधिकारी, सचल दल कानपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 30 -05-2013 के द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पदोन्नति कोटे के कार्मिकों की दिनांक 19-05-2009 को जारी पदोन्नति आदेश में आशुलिपिक संवर्ग के कोटे से पदोन्नति किये गये कार्मिकों के वेतनमान रु0 6500-10500 वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने के कारण ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-8(2)(ख) सपठित नियम-7 के अन्तर्गत ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि इस नियम के अन्तर्गत पदोन्नति के समय वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 के वेतनमान रु0 6500-10500 (जो संख्या एवं लिपिक संवर्ग से अधिक था) के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाता है तो उनका नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2595 के स्थान पर 2335 पर अंकित होना चाहिए।

श्री त्रिवेदी की उक्त आपत्ति का ज्येष्ठता नियमावली 1991 के आधार पर परीक्षण करने पर उनकी यह आपत्ति उचित पायी गयी। ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-8(2)(ख) में परिभाषित नियम-6 व 7 में निम्न प्रकार प्राविधान किया गया है :-

नियम-6 जहॉ सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियॉ केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण- पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात की गयी हो उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाये, अपनी वही ज्येष्ठता पुन: प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

नियम-7 जहॉ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियॉ एक से अधिक पोषक संवर्गो से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहॉ किसी एक चयन के परिणाम से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण- जहॉ पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रुप से नियुक्त किया जाये तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलो में इसका तात्पर्य आदेश के दिनांक से होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हो तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नति व्यक्तियों से ज्येष्ठ होगें।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणाम के फलस्वरुप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणाम स्वरुप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होगे।

वाणिज्य कर अधिकारी के पोषक संवर्ग में तीन संवर्गो क्रमश: 03 संवर्गो (लिपिक संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग एवं संख्या संवर्ग) से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में उक्त 03 संवर्गो से पदोन्नति व्यक्तियों की उक्त ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8(2)(ख) में परिभाषित उक्त नियम-6 व 7 में दिये गये प्रतिबन्ध के आधार पर जिन संवर्गो (वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1) का वेतनमान रु0 6500-10500 अधिक / ज्येष्ठ है तदनुसार संशोधित वेतनमान रु0 9300-34800 ग्रेड पे रु0 4600 पुनरीक्षित हो गया है, उन्हे उस चयन वर्ष (जिसके लिए उनका चयन हुआ है) में तैयार की गयी संयुक्त सूची में ज्येष्ठ मानते हुए ज्येष्ठता क्रम में ऊपर अवस्थित किया गया है। इसके बाद क्रमश: निम्नतर वेतनक्रम में संख्या संवर्ग (संख्या सहायक जिनका वेतनमान रु0 5500-9000) तदनुसार संशोधित वेतनमान रु0 9300-34,800 ग्रेड पे रु0 4600 पुनरीक्षित हो गया है।

क्रमश:--3//

इसी प्रकार लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षक का वेतनमान रु0 5000-8000 था वर्तमान में यह वेतनमान रु0 9300-34800 ग्रेड पे रु0 4200 दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित किया गया है। कार्यालय अधीक्षक के पद को प्रशासनिक अधिकारी में संविलीन करते हुए उसका वेतनमान रु0 9300-34,800 ग्रेड पे रु0 4600 दिनांक 22-12-2011 से संशोधित किया गया है जो संलग्न ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित कार्मिकों पर लागू नही है क्योंकि संलग्न ज्येष्ठता सूची के क्रमॉक 2169 से 2733 तक कार्मिकों को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर दि0 22.12.11 से पूर्व पदोन्नत किया जा चुका था। इसी प्रकार लिपिक संवर्ग के अन्य पोषक संवर्ग के पद वरिष्ठ सहायक का पुराना वेतनमान रु0 4500-7000 को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में वेतनमान रु0 5200-20200 ग्रेड पे रु0 2800 में पुनरीक्षित किया गया है इस क्रम में शासनादेश दिनांक 12-12-2012 द्वारा वरिष्ठ सहायक का पदनाम प्रधान सहायक में संशोधित करते हुए उनका वेतनमान रु0 9300-34,800 ग्रेड पे रु0 4200 दिनांक 22-12-2011 से पुनरीक्षित किया गया है जो संलग्न ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित वरिष्ठ सहायक के कार्मिकों पर लागू नही है।

अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री रवीन्द्र कुमार त्रिवेदी, वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल कानपुर द्वारा उठायी गयी आपत्ति के अनुसार उनका अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निर्धारित क्रमांक 2595 के स्थान पर 2335 पर तद्नुसार संशोधित कर दिया गया है।

2- श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल, वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल नजीबाबाद द्वारा भी श्री रविन्द्र कुमार त्रिवेदी की भॉति उपर्युक्तानुसार तथ्य प्रस्तुत करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक- 2596 के स्थान पर ज्येष्ठता क्रमांक-2538 पर निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है जो उचित पाया गया। तद्नुसार श्री सिंघल का ज्येष्ठता क्रमांक संशोधित करते हुए उनका नाम ज्येष्ठता क्रमांक-2596 के स्थान पर 2338 पर अवस्थित कर दिया गया है।

3- श्री शिव कुमार तिवारी, महामंत्री उ0प्र0 वाणिज्य कर सांख्यकीय स्टाफ एसो0 के प्रतिवेदन दिनांक 04-06-2013 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के समय जब पात्रता सूची आयोग को प्रेषित की जाये उसके साथ ही वेतनमान की वरीयता के क्रम में ज्येष्ठता निर्धारित की जाये। इसी क्रम में श्री शिवकुमार तिवारी महामंत्री के ज्ञापन दिनांक 04-06-2013 द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि संख्या संवर्ग से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को उनके वेतनमान के आधार पर लिपिक संवर्ग के पदोन्नत कार्मिकों से वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में ऊपर अवस्थित किया जाये। इसी प्रकार श्री राजेश कुमार सिंह, महामंत्री आशुलिपिक संवर्ग के ज्ञापन दिनांक 04-06-2013 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को उनके वेतनमान के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को लिपिक संवर्ग के वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों से ऊपर वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में ऊपर अवस्थित किया जाये। संघ के उक्त दोनो प्रतिवेदनो के क्रम में ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-7 के प्रतिबन्ध में परिभाषित व्यवस्था के अनुसार आशुलिपिक संवर्ग से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों की ज्येष्ठता में यथावश्यक संशोधन करते हुए आशुलिपिक संवर्ग एवं संख्या संवर्ग से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत सभी कार्मिकों की ज्येष्ठता में यथावश्यक संशोधन कर लिया गया है जिसके आधार पर उक्त आपत्ति का निस्तारण हो जाता है।

इसी क्रम में उक्त संशोधनो के उपरान्त ज्येष्ठता क्रमांक-2169 से 2733 तक के कार्मिको की इस कार्यालय के पत्रांक- 1028 दिनांक 28-05-2013 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक-1385 दिनांक 10-06-2013 द्वारा ज्येष्ठता क्रमांक-2169 से 2733 तक के कार्मिकों

की पुन: अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी, जिसके क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण निम्न प्रकार है :-

1- श्री बसन्त प्रसाद,
वाणिज्य कर अधिकारी, खण्ड-1,
महराजगंज।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि श्री बसन्त प्रसाद तृतीय श्रेणी से दिनांक 05-02-2010 के द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत होकर तैनात है। श्री बसन्त प्रसाद का अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 10-06-2013 के ज्येष्ठता क्रमांक- 2703 पर नाम अंकित है। इससे पूर्व जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 28-05-2013 में श्री बसन्त प्रसाद का नाम ज्येष्ठता क्रमांक- 2681 पर था श्री बसन्त प्रसाद द्वारा अपनी उक्त आपत्ति के क्रम में अपनी जन्मतिथि 05-12-52 के स्थान पर 05-12-53 संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संशोधन के लिए श्री बसन्त प्रसाद द्वारा हाईस्कूल का परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी 1968 का प्रमाण पत्र एवं अपनी सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार उनकी जन्मतिथि 05-12-53 है। श्री बसन्त प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी उक्त आपत्ति उचित पायी गयी जिसके आधार पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक -2703 पर अंकित इनके नाम के नीचे अंकित उनकी जन्मतिथि 05-12-52 के स्थान पर 05-12-53 संशोधित करते हुए अंकित कर दी गयी है।

2- श्री राजेन्द्र पाल सिंह,
वाणिज्य कर अधिकारी,
सचल दल द्वितीय इकाई, सहारनपुर।

श्री राजेन्द्र पाल सिंह द्वारा उक्त आपत्ति के क्रम में निम्न चार बिन्दुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज करायी गयी है :-

1- प्रस्तावित ज्येष्ठता सूची की सूचना समस्त प्रभावित अधिकारियों को समय के अन्तर्गत प्राप्त नही करायी गयी है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-9(2) में न्यूनतम 07 दिन का समय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन हेतु प्राविधानित है। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 10-06-2013 को विभाग की बेबसाईट पर तथा संबंधित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, के माध्यम से अवलोकित कराने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे और उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के माध्यम से दिनांक 17-06-2013 तक आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थी। उक्त से स्पष्ट है कि ज्येष्ठता नियमावली 1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार उचित समय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन हेतु प्रदान किया गया है। अत: यह आपत्ति पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने के योग्य है।

2- इस आपत्ति में श्री सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 10-06-2013 के पत्र में इस कार्यालय के पत्रांक-869 का दिनांक 12-06-2012 के स्थान पर दिनांक 12-06-2013 टंकित हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है। श्री सिंह की यह आपत्ति अभिलेखो के अनुसार उचित है। वास्तव में इस कार्यालय के पत्रांक-869 द्वारा जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची का दिनांक 12-06-2012 है जिसे तदनुसार संशोधित समझा जाये।

3- आपत्ति संख्या-3 में श्री सिंह द्वारा यह कहा गया है कि पूर्व में दो आपत्तिकर्ताओं एवं आशुलिपिक संघ के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के आधार पर श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल, वाणिज्य कर अधिकारी सचल दल नजीबाबाद को उनसे वरिष्ठ नही माना जा सकता क्योकि श्री सिंह द्वारा अपनी कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि 23-07-73 बतायी गयी है जबकि श्री सिंघल की कनिष्ठ लिपिक/ टंकक के पद पर वर्ष 1974 में नियुक्त होना बताया गया है। इस सम्बन्ध में अभिलेखो के अनुसार श्री राजेन्द्र पाल सिंह

लिपिक संवर्ग से वाणिज्य कर अधिकारी पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत होकर वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर तैनात है जबकि श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल आशुलिपिक संवर्ग कोटे से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत होकर तैनात है। इस प्रकार श्री राजेन्द्र पाल सिंह का यह कथन कि श्री सिंघल की लिपिक/टंकक के पद पर हुई थी, उचित नही है।

जहॉ तक श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल को वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में श्री राजेन्द्र पाल सिंह से वरिष्ठ माने जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघल, वाणिज्य कर अधिकारी की वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, (पुराना वेतनमान रु0 6500-10500से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुई थी। वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 का पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01-01-2006 रु0 9300-34800ग्रेड पे रु0 4600 निर्धारित है जबकि श्री राजेन्द्र पाल सिंह की चयन वर्ष 2007-2008 में उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार दिनांक 01-07-2007 की स्थिति के अनुसार उनकी वरिष्ठ सहायक (पुराना वेतनमान रु0 4500-7000 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 5200-20200 ग्रेड पे रु0 2800 से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुई थी। यद्यपि वरिष्ठ सहायक के पद को दिनांक 12-12-2012 को प्रधान सहायक में परिवर्तित करते हुए रु0 9300-34800 ग्रेड पे रु0 4200 मे दिनांक 22-12-2011 से संशोधन किया गया है। इसी शासनादेश में कार्यालय अधीक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारी को सम्मिलित करते हुए उनका वेतनमान रु0 9300-34800 ग्रेड पे रु0 4600 दिनांक 22-12-2011 से सशोधित किया गया है। इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि चयन वर्ष 2007-2008 में वाणिज्य कर अधिकारी की पदोन्नति के समय वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 के पदो पर कार्यरत तैनात कार्मिकों का वेतनमान अधिक था। इस कारण वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1991 के नियम-7 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर वैयक्तिक सहायक के पदो पर तैनात कार्मिकों को लिपिक संवर्ग से ज्येष्ठ माना गया है।

इसी क्रम में श्री राजेन्द्र पाल सिंह द्वारा अपनी उक्त आपत्ति में यह भी कहा गया है कि विभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ज्येष्ठता सूची जारी करके एक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आपत्तियॉ आमंत्रित की जाती है इसके बाद इतने वर्षो तक आपत्तियॉ दाखिल करने पर विचार करने का कोई औचित्य नही है। श्री सिंह द्वारा इस आपत्ति के क्रम में कोई नियम का उल्लेख नही किया गया है जिसके कारण श्री सिंह की यह आपत्ति नियमानुकूल नही है। इसके अतिरिक्त श्री सिंह द्वारा 33 प्रतिशत पदोन्नति कोटे का आधार देते हुए आशुलिपिक एवं संख्या संवर्ग के कार्मिकों को लिपिक संवर्ग से ज्येष्ठ न मानने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। ज्येष्ठता नियमावली 1991 में पदोन्नति कोटे के अनुसार कार्मिकों की ज्येष्ठता के अवधारण का प्राविधान नही है। वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता उक्त नियमावली के नियम-7 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर पोषक संवर्ग में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये गये कार्मिकों के विभिन्न संवर्गो में उनके वेतनमान के आधार पर नियमानुसार निर्धारित की गयी है।

उक्त क्रम में श्री राजेन्द्र पाल सिंह के दिनांक 15-06-2013 की संशोधित करके प्रस्तुत की गयी आपत्ति के अनुसार लिपिक संवर्ग के दिनांक 01-01-2006 को विभिन्न पदो के पुनरीक्षित वेतनमान का विवरण प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया है कि तीनो संवर्गो के वेतनमान समान हो गये थे। ऐसी स्थिति में पुराने वेतनमान के आधार पर दिनांक 19-05-2009 द्वारा पदोन्नत कार्मिकों की ज्येष्ठता का अवधारण किया गया न्याय संगत नही है। इस सम्बन्ध में यह भी इंगित किया गया है कि वर्ष 1970 व 1980 के दशक में लिपिक व आशुलिपिक संवर्ग तृतीय श्रेणी संवर्ग में रहे है। ऐसी स्थिति में आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिको को लिपिक संवर्ग से पदोन्नत कार्मिकों के ऊपर अवस्थित किया जाना उचित नही बताया गया है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य कर अधिकारी के पदोन्नत कोटे के प्रतिशत के आधार पर ज्येष्ठता के निर्धारण का तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है। श्री राजेन्द्र पाल सिंह द्वारा दिनांक 15-06-2013

को जो अलग से अतिरिक्त उक्त तथ्य प्रस्तुत किये गये है, वे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरुप नही है। श्री सिंह द्वारा भी अपनी उक्त आपत्ति में उक्त ज्येष्ठता नियमावली 1991 अथवा अन्य किसी नियम का उदाहरण प्रस्तुत नही किया गया है जिसके कारण श्री सिंह की आपत्ति नियमानुकूल न होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। तद्नुसार श्री सिंह की आपत्ति को अस्वीकार करते हुए उसका निस्तारण किया जाता है।

अतः इस कार्यालय के प0सं0 869 दि0 12.06.2012 द्वारा जारी वाणिज्य कर अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची (जो ज्येष्ठता क्रमॉक 1 से 2733 तक थी) के क्रम में इस कार्यालय के पत्रॉक 1028 दिनॉक 28.05.2013 के द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जो ज्येष्ठता क्रमॉक 2169 से 2733 तक थी, के क्रम में वाणिज्य कर अधिकारियों से प्राप्त आपत्तियों का उपर्युक्तानुसार निस्तारण करते हुए ज्येष्ठता क्रमॉक 2169 से 2733 तक के वाणिज्य कर अधिकारियों की तद्नुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जा रही है। यह अन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्न सूची में उल्लिखित वाणिज्य कर अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण / पदोन्नत आदि की कार्यवाही के लिए विधिमान्य होगी।

इस कार्यालय के पत्रांक-869 दिनांक 12-06-2012 के ज्येष्ठता क्रमांक - 2169 से ज्येष्ठता क्रमांक-2733 तक की वाणिज्य कर अधिकारियों की जारी ज्येष्ठता सूची को इस सीमा तक तद्नुसार संशोधित समझा जाये। मुख्यालय के पत्र संख्या-869 दिनांक 12-06-2012 द्वारा जारी वाणिज्य कर अधिकारी की जारी ज्येष्ठता सूची के क्रमांक- 1 से ज्येष्ठता क्रमांक- 2168 तक पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

21.6.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अनु सचिव/ संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3/1, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ज्येष्ठता सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा कराने का कष्ट करें, तथा अपने जोन के अधीन तैनात वाणिज्य कर अधिकारियों को तुरन्त उक्त सूची अवलोकित भी कराने का कष्ट करें।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य/सर्वोच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, लखनऊ/ इलाहाबाद/ गाजियाबाद।
5- समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6- असिस्टेन्ट कमिश्नर (कम्प्यूटर)वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- संबंधित अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि अपने अनुभाग में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी को विभागीय बेबसाईट के माध्यम से उक्त ज्येष्ठता सूची का अवलोकन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
8- समस्त संलग्न सूची में उल्लिखित समस्त वाणिज्य अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार विभागीय बेबसाईट के माध्यम से एक -एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।